

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07012022-232509
SG-DL-E-07012022-232509

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 369
No. 20]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 369

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 जनवरी, 2022

सं. 9/2021-राज्य कर(दर)

सं. फा. 3(144)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/14.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), की धारा 11 की उप धारा(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के वित्त विभाग(राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्यकर(दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं0फा0 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/374, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा:-

'86	1209	बीज, फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है।
-----	------	--

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव- I (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं. फा. 03(15)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/374 दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-राज्य कर(दर), दिनांक 1 जून, 2020 जिसे सं. फा. 03(5)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस-VI/168 दिनांक 1 जून, 2020, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th January 2022

No. 9/2021- State Tax (Rate)

No. F. 3(144)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/14.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No.02/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for S. No. 86 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries thereto shall be substituted, namely: -

“86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing <i>Explanation:</i> This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing.”;
------	------	--

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of October, 2021.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note : The principal notification No. 02/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 15/2019-State Tax (Rate) dated the 1st June, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F.3(5)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-VI/168, dated the, 1st June, 2020.